By G.K.Verma
Additional Treasury Officer,
Ajmer

राजस्थान भू राजस्व (भुगतान,जमा,वापसी एवं वसूली) नियम 1958.

Rajasthan Land Revenue (Payment, Credit, Refund & Recovery) Rules, 1958.

L.R.Act की धारा 261 (2) के अन्तर्गत नियम निर्मित–

There rules are made under section 261 (2), Chapter X, L.R.Act 1956

1. ये नियम राजस्थान भू राजस्व (भुगतान, जमा, वापसी एव वसूली) नियम, 1958 कहलायेंगे।
   These rules are may be called the Raj. L.R. (Payments, credits, Refund & Recovery Rules 1958.
2. ये प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे।
   Come into force on the date of their Publicatin in the official Gazette.

क–भुगतान (Payment)

4. राजस्व अथवा रेंट के भुगतान के लिए किश्तें तथा तारीख–
   Installments and dates for Payment of Revenue or rent-
   सरकार को देय राजस्व अथवा रेंट ऐसी किश्तों में तथा उन तारीखों में भुगतान योग्य होंगे जैसा राज्य शासन समय समय पर निश्चित करें।
5. राजस्व अथवा रेंट कहां देय होगा–
   Revenue or Rent, where payable-
   1. राजस्व अथवा रेंट का भुगतान उस तहसील के तहसीलदार कार्यालय पर होगा जिसकी सीमाओं के भीतर भू.सम्पदा या जोत स्थित हो।
   2. जिला कलक्टर को अधिकार होगा कि वह देय भुगतान जिला मुख्यालय पर करा सके।

   राजस्व या रेंट एक ही जिले की अलग–अलग तहसील क्षेत्र का भुगतान एक ही तहसील कार्यालय स्तर पर कराने की स्वीकृति दे सकना। तथा सूचना अन्य तहसीलदारों को देना ताकि लेखों में इन्द्राज किया जा सके।
6. नदी द्वारा विच्छेदित हुई भू.सम्पदा का राजस्व, भू.सम्पदा या ग्राम को एक जिले से दूसरे में हस्तान्तरण करने के विचाराधीन रहते, कहॉ देय होगा–
   Revenue of estate cut off by river, where payable, Pending transfer of estate or village from one district to another-

   जहां किसी नदी भी गहरी धारा के प्रवाह से किसी भू.स. सम्पदा का एक भाग एक जिले से विच्छेदित होकर अन्य जिले में चला जाये ओर भू.सम्पदा अलग अलग ग्रामों में हो ओर भू राजस्व अलग अलग निर्धारित हो और स्थानान्तरित न हुआ हो तो भू.राजस्व का भुगतान उसी जिले में किया जाता रहेगा जिसमें वह पहले जमा किया जाता था।

7. जिस जिले में किसी भू.सम्पदा का भू.राजस्व का निर्धारण हुआ हो, उसका भू राजस्व अन्य जिले के मुख्यालय पर भुगतान करना–
   Payment of Land Revenue at head Quarters of districts other than that in which estate assessed-

   सम्बन्धित आयुक्तों की अनुमति से भिन्न जिले में भुगतान किया जा सकता है जिसमें जिस जिले में सम्पदा है का उल्लेख करना होगा।

8. चपरासियों को भुगतान नहीं किया जाना–
   Payment not to be made to peons-

   तामील कर्ता को भुगतान नहीं किया जाना चाहिये। अथवा चपरासी को भुगतान नहीं किया जाना चाहिये।

9. राजस्व का भुगतान किस रूप में हो–
   Revenue now to be paid-

1. रोकड़ या करेन्सी नोटों के रूप में भुगतान किया जा सकता है मनीआर्डर द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। G.F. & A.R. के नियम 80 के द्वारा अनुज्ञप्त हो तो बैक ड्राफ्ट के रूप में भी भुगतान किया जा सकता है।
2. मूल्यवान सिक्योरिटीज या किसी भी प्रकार के स्टाम्प राजस्व भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक द्वारा प्रेषित करेंसी नोट स्वीकार योग्य नहीं होंगें ।

10. चैक स्वीकार करने की शर्तें– सरकारी खजाने का कार्य
    Conditions for Acceptance of Cheques-

    जिन स्थानों पर सरकारी खजाने का कार्य SBI अथवा Scheduled Banks द्वारा किया जाता हो वहॉ भुगतान में चैक निम्नांकित नियमों के अध्यधीन स्वीकार किये जायेंगे।

1. चैक रेखांकित किये जाने चाहिये। Crossed होना चाहिये।
2. चैक के प्रस्तुत किये जाने पर निम्नांकित प्रारूप में रसीद दी जायेगी

   चैक नं.....रू.....का.....बैक पर जारी किया गया .....हेतु.....प्राप्त हुआ। (चालान के अनुसार)

3. यदि चैक अमान्य हो जाये तो भुगतान करने वाले को रोकड़ राशि जमा कराने हेतु सूचित करना।
4. चैक द्वारा भुगतान निश्चित तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व प्राप्त हो।
5. सरकारी देयता के भुगतान में डिमान्ड ड्राफ्ट भी स्वीकार किये जायेंगे।

11. कोष तथा उपकोष से सम्बन्धित नियमों का पालन किया जाना–

Rules Relating to Treasuries & Sub Treasuries to be observed-

1. तहसीलदार के कार्यालय में दिया जाने वाला राजस्व उपकोष के नियमों के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा।
2. मुख्यालयों पर (जमा) भुगतान किये जाने वाला राजस्व जिला कोषागार से सम्बन्धित नियमों के अनुसार जमा कराया जायेगा।

12. पटवारियों के माध्यम से राजस्व अथवा रेंट का जमा कराया जाना–

Revenue or Rent to be paid through Patwaries- नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व अथवा रेंट भुगतान पटवारी के द्वारा किया जावेगा।

13. सहभागीदार से उगाई–

Collection from Co-Sharers- उगाई सहभागीदारों अथवा सहभागीदार समूहों से उनके हिस्सों के अनुसार की जा सकेगी। किन्तु इसका प्रभाव सम्पदा पर देय कुल राजस्व की समस्त संयुक्त देनदारी पर नहीं पड़ेगा।

(ख) जमा भुगतानों का विनियोजन

(B) Credits, Appropriation of Payments

14. How Part Payment to be applied-

आंशिक रकम जमा कराना– जहां दो अथवा अधिक वर्षों की बकाया हो और आंशिक रकम जमा कराने वाला बकाया रकम जमा कराता है तो बकाया रकम सबसे प्रथम पूर्वगामी मांग के विरूद्ध जमा की जायेगी। और शेष राशि हो तो अगली पश्चात्गामी मांग के विरूद्ध समायोजित होगी।

[T.Act. 1995 की धारा 132]

15. परिस्थितियां जिनमें भुगतान राशि पहले उपकर की मांग के प्रति जमा की जायेगी–

Circumstances in which Payment is to credited first to Demand outstanding on Acctt. of cesses- जहां राजस्व अथवा लगान की बकाया तथा प्राधिकृत किसी भी प्रकार के उपकरों की बकाया दोनों राशियां देय हो और आंशिक राशि जमा कराने वाला व्यक्ति यह स्पष्ट सूचना नहीं दे कि जमा की जाने वाली राशि का समायोजन राजस्व अथवा रेंट के विरूद्ध अथवा प्राधिकृत उपकर के विरूद्ध जमा की जावे तो प्राप्त राशियां पहले उक्त उपकरों की मांग के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।

(ग) वापसी

(c) Refunds

16. अधिक उगाई गई राशि कलक्टर के आदेश से वापस लौटाई जायेगी–

Excess collection to be refunded under collector's Order-

1. उचित मांग से जो राशि अधिक वसूलकर ली गई है वह कलक्टर के आदेश से वापिस लौटाई जा सकेगी।
2. जब विभिन्न राजस्व मदों में राशि जमा कराई गई हो तो वापसी के लिए प्रत्येक मद के लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जाना चाहिये।

17. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अध्याय 14 का पालन–

Observance of Rules in Chapter 14 of G.F.& A.R. - ऐसी वापसियां करने में कलक्टर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अध्याय 14 के अन्तर्विष्ट नियमों का पालन करेगा।

Recovery of Arrears of Revenue or Rents

राजस्व अथवा रेंट की बकाया वसूली किया जाना

(क) सामान्य

18. आदेश पत्रों, सम्मनों, वारन्टों तथा उद्धोषणाओं के प्रारूप–

form of Writs, Citation, Warts & Proclamations-

1. आदेश पत्र (रिट), सम्मनों तथा उद्धोषणाएं संलग्न प्रपत्र में होगी।
2. उन पर जारी किये जाने की तारीख अंकित होगी।
3. जारी करने वाला अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा। मोहर भी लगायेंगा।

19. मांग के इन्द्राज सही होने का दायित्व–

Responsibility for correctness of Entries of Demand- मांग के सही होने का उत्तर दायित्व T.R.A. का होगा। समस्त प्रोसेस में जिसमें ऐसी मांग प्रविष्ट होनी अपेक्षित हो प्रत्येक पर वह सही होने के लिए हस्ताक्षर करेगा।

20. लेखा विवरणों का प्रमाणीकरण–

Certification of statement of Account- बकाया की वसूली के लिए प्रथम Process जारी होते समय TRA धारा 257 (L.R.Act) के तहत लेखा विवरण तैयार करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा जिनका प्रमाणीकरण तहसीदार करेगा। परन्तु जारी किया जाने वाला प्रथम प्रोसेस कोई रिट या सम्मन हो तो उसकी प्रति परत पर तहसीलदार द्वारा प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जायेगा।

21. कुर्की या बेचान के आदेश पत्र एक या अनेक बाकीदारों के विरूद्ध परन्तु उपस्थित होने के सम्मन व्यक्तिगत–

Writs of Attachment or Sale against one or several Defaulters but citation to appear against Individuals- किसी एक के विरूद्ध या कुछ के विरूद्ध या अनेक बाकीदारों में सबके विरूद्ध जो बकाया भुगतान का संयुक्त दायित्व रखते हो मांग का पत्र अथवा चल सम्पति की कुर्की अथवा बेचान का एक पत्र जारी किया जा सकता है किन्तु सम्मन प्रत्येक बाकीदार को अलग–अलग जारी किया जायेगा।

22. प्रोसेस समस्त बकाया के लिए जारी करना–

Process to issue in respect of whole Arrears- प्रोसेस सामान्यतयः संदेय पूर्ण बकाया के सम्बन्ध में ही जारी किया जायेगा। चाहे बकाया एक भू.सम्पदा से सम्बन्धित हो अथवा अधिक से।

(ख) मांग तथा सम्मन के आदेश पत्र (रिट)

Writs of Demand & Citation

23. धारा 229 के अधीन प्रोसेस, तहसीलदार /SDO/Collector द्वारा जारी किया जाना– Process to be issued u/s, 229 (L.R.Act) by Tehsildar/SDO/Collecter- धारा 229 के अन्तर्गत मांग पत्र या उपस्थित होने का अव्हान पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जावेगा। या SDO/Collector के आदेश द्वारा। यदि रिकवरी उसी जिले के अन्य तहसील में हो तो मांग पत्र सीधे अथवा सम्बन्धित तहसीलदार के मार्फत।

24. अन्य प्रकार के Process का सहारा लेने से पूर्व सामान्यतः मांग पत्र अथवा आहवान पत्र जारी करना चाहिये– कानून द्वारा यह अपेक्षित नहीं है कि धारा 231 (भूमि की कुर्की) के अधीन प्रोसेस जारी करने से पूर्व धारा 229 के अधीन प्रोसेस जारी किया जावे परन्तु सामान्यतः किसी अन्य प्रोसेस का सहारा लेने से पूर्व प्रारूप 1 में मांग पत्र व प्रारूप–2 में आदेश पत्र जारी किया जाना चाहिये।

25. मांग की रिट या उपस्थित होने के लिए आदेश पत्र के लिए फीस–

Fee for Writs of demand or citation to appear- 1/–रूपये वसूल की जायेगी। यह राशि मांग राशि में जोड़ी जावेगी।

26. मांग की रिटों ओर आदेश पत्रों की तामील करने हेतु तामील कुनन्दा–

Process Servers for serving writ of demand & citations- इनकी तामील तामील कुनन्दाओं द्वारा कराई जावेगी। ये स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के हो सकते है।

27. एक ही बकाया के सम्बन्ध में केवल एक रिट जारी करना–

Only one writ of dement in respect of same arrear- जब तक कि Collector के कोई स्पष्ट आदेश न हो एक बकाया के सम्बन्ध में एक ही रिट जारी की जायेगी यदि तामील की दिनांक से 15 दिन में भुगतान नहीं किया जाता है तो अगली कार्यवाही की जानी चाहिये।

28. मांग की रिट तथा उपस्थित होने के लिए आदेश पत्र तामील करने का तरीका–

Made of Service of Writs of Demand or Citation to appear-

1. सर्व प्रथम तो बाकीदार स्वयं को तामील कराई जानी चाहिये।
2. अन्यथा उसके किसी Agent को कराई जावे।
3. आदेश बाकीदार के आबाद मकान पर चस्पा किया जावे।

व्यक्तिगत तामील की दो प्रतियों में से एक दी जाकर दूसरी तहसील में जमा करानी होगी।

4. तामील कर्ता रिपोर्ट करेगा कि उसने किस प्रकार तामील कराई है।

व्यक्तिगत, ऐजेन्ट को, अथवा चस्पा करके।

5. कलक्टर की स्वीकृति से मांग की रिट पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी। ऐसी दशा में डाकघर की रसीद काऊण्टर फाइल में साथ नत्थी की जायेगी।

(ग) चल सम्पति की कुर्की तथा बेचान

(c) Attachment and Sale of Movable Property

29. धारा 230 के अधीन प्रोसेस कलक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जाना–

Process under section 230 to be issued by collector or SDO.

1. धारा 230 के अधीन प्रोसेस (चल सम्पति की कुर्की तथा बेचान) केवल कलक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा अथवा उसके आदेश से जारी किया जायेगा।

2. चल सम्पति की कुर्की का वारण्ट प्रारूप सं '3' में होगा और बेचान के लिए प्रारूप संख्या '4' में होगा। और निलाम की धोषणा प्रारूप सं 4 (क) में होगी। कोई भी विक्रय, बाकीदार की लिखित सहमति के बिना नहीं होगा जब तक कि उद्घोषणा की तामील हो जाने की तारीख से संगणित कम से कम 15 दिन व्यतीत न हो जावे।

30. चल सम्पति की कुर्की हेतु कुर्क अमीन–

Quarl Amin for Attachment and sale of movable Property-

धारा 230 के अन्तर्गत वसूली योग्य बकाया की वसूली जब तक कि पीठासीन अधिकारी अन्यथा आदेश न दे कुर्की की कार्यवाही कुर्क अमीन द्वारा की जायेगी। कुर्की के वारन्ट के लिए फीस 1/– रूपये होगी।

31. कुर्की करने के लिए निवास स्थान में प्रवेश :–

Entering of Dwelling House for Making attchement

जब कुर्की करने के प्रयोजनार्थ किसी आवासीय मकान में प्रवेश करना आवश्यक हो तो की CIVIL PROCEDURE CODE 1998 की धारा 62 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

32. चल सम्पति के विक्रय वारन्ट में विवरण देनाः–

Particulars to be given in Warrant for sale of movable Property

चल सम्पति के वारन्ट में उस राशि का उल्लेख होगा जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया है। और उक्त राशि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर सम्पति को निलाम किया जाना अपेक्षित होगा।

33. चल सम्पति के निलाम का खर्चाः–
Cost of sale of movable Property
चल सम्पति की प्रत्येक निलामी का खर्चा शेष देय राशि पर कुर्की वारन्ट के प्रकार सहित जो निलाम द्वारा वसूल हो, 6 नये पैसे प्रति रूपये की दर से लेवी द्वारा वसूल किया जायेगा। निलाम में अधिक प्राप्त राशि बाकीदार को भुगतान की जायेगी।

34. चल सम्पति की निलामी का संचालन करने हेतु अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के खर्चे हेतु चार्ज की जाने वाली फीसः–
Fees chargeable for meeting Cost of deputation of officer to conduct sale of movable Property

when the amount of Recovery dose not exceed Rs. 50/-	1.50	Rs
when the amount of Recovery exceed Rs. 50/- but dose not exceed Rs 1000/-	3.00	Rs
when the amount of Recovery exceed Rs. 1000/-	6.00	Rs

35. नियम 34 के अन्तर्गत आरोप्य फीस कोषागार में जमा कराई जायेगीः–
Fees leviable under Rules 34 to be paid into treasury:-
आरोग्य फीस कुर्क शुदा सम्पत्ति की नीलामी के साथ प्राप्त राशि के साथ सरकारी कोषागार में जमा कराई जायेगी।

(घ) धारा 230 के अन्तर्गत कुर्क किये गये पशुधन तथा अन्य चल सम्पति के रख रखाव तथा संरक्षण के नियमः–

(D) Rules for the maintenance and custody of livestock and other movable property atteched under section 230 of the Act.

36. कुर्क पशुधन अथवा अन्य चल सम्पति का संरक्षणः–
Custody of Live Stock or Other movable property
कुर्क की गई सम्पति को कुर्क`करने वाला अधिकारी –
(क) यदि बाकीदार उतनी जमानत देवे जो अधिकारी पर्याप्त समझे तो उसे बाकीदार के संरक्षण में छोडनें का आदेश देगा।
(ख) यदि बाकीदार जमानत न दे अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के संरक्षण में देगा।

37. कुर्क की गई सम्पति का विवरण दिया जानाः–
Discription of Property attached to be given
(क) 36 (ख) में उल्लेखित आदेश में।
(ख) न्यायालय को प्रस्तुत कुर्की के प्रतिवेदन में।

38. पशुधन को मवेशी खाने में ले जाना और देखरेख करने वालों की नियुक्ति करना
Removal of livestock to Cattle pound and appointment of care taker
यदि नियम 36 के अधीन संरक्षण की व्यवस्था न हो तो
(क) यदि पशुधन हो तो निकटतम मवेशी खाने में पहुंचायेगा
(ख) यदि वह अन्य चल सम्पति हो तो एक या अधिक देख रेख करने वालों की नियुक्ति करेगा।

39. मवेशी खाने का प्रभारी विवरण दर्ज करेगाः–
Particular to be entered by pound Keeper
प्रभारी मवेशी खाना निम्न सूचना दर्ज करेगाः–
1. पशुओं की संख्या तथा विवरण
2. तारीख तथा समय जब पशुओं को उसके संरक्षण में सुपुर्द किया गया।
3. कुर्क अधिकारी का नाम जिसने सुपुर्द किये और कुर्क अधिकारी को इन्द्राज की प्रति देगा।

40. मवेशी खाना प्रभारी पशुओं का चार्ज लेगा और उनको आहार खिलायेगाः–
प्रभारी मवेशी खाना पशुओं का Charge लेगा तथा आहार व पानी की व्यवस्था करेगा।

41. मवेशी खाने के उपयोग का रेन्ट लिया जायेगाः–
Rent to be charged for use of cattle pound
1. मवेशी खाने में सुपुर्द प्रत्येक पशु के लिए प्रत्येक 15 दिन अथवा भाग के लिए (उपयोग के लिए) जब तक वे उसकी सुपुदर्गी में रहे पशु अतिक्रमण अधि0 1871 के अन्तर्गत निर्धारित प्रमाणानुसार रेन्ट वसूल किया जायेगा।
2. अधिरोपित राशि या तो सरकारी कोष में जमा होगी अन्यथा संस्था चलाने वालों को जमा कराई जा सकेगी।
3. ऐसी धनराशियों का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि पशु अतिक्रमण नियम 1871 की धारा 12 के तहत् किया जाता है।
4. कांजी हाउस प्रभारी को भी उक्तानुसार पशुओं को आहार खिलाने व रख रखाव हेतु तत्समय निश्चित दर से पैसा देय होगा। पशु अति0 अधिनियम 1871 नियम 5 के अन्तर्गत

42. कांजी हाउस प्रभारी द्वारा पशुओं को मुक्त करनाः–
Release of animal committed to custody of pound keeper
प्रभारी कांजी हाऊस द्वारा तब तक पशु मुक्त नही किये जोयेगें जब तक कि उनके पास लिखित में कुर्क करने वाले अधिकारी का आदेश न हो। इसके पूर्व नियम 41 के अन्तर्गत देय समस्त चार्ज प्रभारी कांजी हाऊस को भुगतान कर दिये है।

43. पशु को विक्रय हेतु तैयार करने और आहार खिलाने का खर्चाः–

Cost of preparing livestock for sale etc and cost of feeding

पशु को विक्रय हेतु तैयार करने या उसे रखे जाने वाले या विक्रय स्थान पर लाने ले जाने और कांजी हाउस प्रभारी अधिकारी की सुपुदर्गी में रहतें हुए पशु को आहार खिलाने का खर्चा, विक्रय से प्राप्त राशि से भुगतान होगा।

44. नियम 38 के अधीन देखरेख रखने वाले को अदायगी–

Amount to be paid to care takers appointed Rules 38- नियम 38 (ख) के अधीन नियुक्त देखरेख करने वाले को यदि आवश्यक हो तो दैनिक राशि दी जायेगी जो 25 पै. से कम व 58 नये पैसे से अधिक नहीं होगी। परन्तु कुर्की करने वाला अधिकारी अधिक दर की अनुमति दे सकेगा जिसके कारण उल्लेखित किये जायेंगे।

45. कुर्की तथा विक्रय सम्बन्धी खर्चे, पशुधन या अन्य चल सम्पति को मुक्त करने से पहले जमा कराए जायेगे।

Charges payable in connection with attachment and sale to be deposited before release of live-stock or other movable property- जब पशुधन या अन्य चल सम्पति कुर्की से मुक्त या विक्रय की जाती हो तो कुर्की विक्रय सम्बन्धी खर्चे ज्ञात किए जायेंगे और कुर्क अधिकारी या विक्रय करने वाला अधिकारी उन्हें अभिलिखित करेगा और जहां तक सम्भव हो उसके द्वारा पशुधन या अन्य चल सम्पति मुक्त करने से पहले बाकीदार द्वारा दी गई राशि में से यदि कोई हो अथवा विक्रय की रकम में से उक्त खर्चे चूकते कर दिये जायेंगे।

46. पशुओं को आहार खिलाने का खर्चा बाकीदार से भू.रा. की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा–

Costs of feeding of Five stock to be recovered as arrears of Land Revenue from Defaulter-if- यदि

(क) यदि यह निर्णय हो कि पशुधन किसी अन्य व्यक्ति का है जिसने कुर्की के विरूद्ध आपत्ति उठाई या

(ख) विक्रय से प्राप्त राशि अपर्याप्त पाई जावे। या

(ग) यदि किसी अन्य कारण से खर्चों का भुगतान नहीं हो सके तो कुर्क अधिकारी या बेचान करने वाला अधिकारी मामले की रिपोर्ट कुर्की या बेचान करने वाले अधिकारी को देगा जो अब तक देय सभी खर्चे मूल देय रकम के साथ पशुओं को आहार खिलाने के खर्चे सहित, यदि कोई हो, बाकीदार से भू.राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के आदेश देगा।

(ड.) भूमि की कुर्की तथा विक्रय

(E) Attachment and Sale of Land.

47. भूमि की कुर्की तथा विक्रय हेतु प्रोसेस जारी करना–

Issue of Process for attachment and Sale of Land- इस मद के अधीन आदेश पत्र जब कि अधिनियम के अधीन आवश्यक हो तो केवल कलक्टर, मण्डल की पूर्व स्वीकृति से जारी कर सकेगा।

48. धारा 233 के अधीन उद्घोषणा–

Proclemation under Section 233- जब कोई भूमि धारा 231 के अधीन कुर्क हुई हो तो धारा 233 के अधीन जारी की जाने वाली उद्घोषणा प्रारूप ''5'' में होगी और जिस गांव में उक्त भू.सम्पदा स्थित हो उसके किसी प्रमुख स्थान पर चस्पा की जायेगी और धारा 61 में बताये गये तरीके से डुंडी पिटवा कर अधिसूचित किया जायेगा।

49. धारा 234 के अधीन भूमि का हस्तान्तरण या धारा 235 के अधीन विक्रय होने पर नामान्तरकरण–

Mutation on transfer u/s, 234 or Sale of Land u/s 235- जब धारा 234 के अधीन भूमि का हस्तान्तरण हो या धारा 235 के अधीन भूमि का विक्रय होने पर तो रजिस्टर नामान्तरकरण करने के लिए कलक्टर आदेश देगा। ऐसे किसी नामान्तरकरण के लिए कोई फीस नहीं ली जायेगी।

50. कलक्टर अपने आप को सन्तुष्ट करें कि धारा 234 के अधीन प्रोसेस जारी करने से बकाया की वसूली हो सकेगी–

Collector should satisfy himself about probability of arrears being recovered from Process U/s 234- धारा 234 के अधीन प्रावधान का सहारा लेने से पूर्व, कलक्अर को, ग्राम्य टिप्पणियों तथा उसकों उपलब्ध जानकारी के अन्य श्रोंतों की सहायता से अपने आप को सन्तुष्ट करना चाहिये कि अधिनियम द्वारा अनुज्ञ 10 वर्षो की अवधि के भीतर इस आदेश पत्र (Process) द्वारा बकाया की वसूली होने की यथोचित सम्भावना है। यदि वह इस प्रकार से सन्तुष्ट न हो, तो धारा 234 के अधीन हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।

51. धारा 233 के अधीन प्रस्ताव केवल प्रस्तावित हस्तान्तरिती द्वारा बकाया का चुकारा करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिये–

Proposed U/s 234 to be made only after payment of arrears by propsed transferee-

1. धारा 231 के अधीन हस्तान्तरण का प्रस्ताव जिलाधीश नहीं बनायेगा जब तक कि बकाया देय का भुगतान प्रस्तावित हस्तान्तरिती ने नहीं कर दिया हो। यदि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावे, तो इस प्रकार से अदा की गई राशि कलक्टर के आदेश से वापिस कर दी जावेगी।

2. हस्तान्तरण की उद्घोषणा प्रारूप ''6'' में होगी।

52. हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित करने के पश्चात् परन्तु स्वीकृति से पूर्व बाकीदार द्वारा बाकी राशि की अदायगी स्वीकार करना–

Acceptance of arrears from defaulter after submission of proposals to transfer but before sanction- हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव मण्डल को प्रेषित करने के बाद परन्तु स्वीकृति प्राप्त होने से पहले, यदि बाकीदार चढ़ी हुई शेष राशि अदा करने को कहे तो कलक्टर को भुगतान स्वीकार कर लेना चाहिये ओर यदि चढ़ी हुई शेष राशि भुगतान कर दी जाती है, तो वह हस्तान्तरण का प्रस्ताव खारिज करने के लिए मण्डल को रिर्पोट करेगा।

53. हस्तान्तरण की अवधि– Period of Transfer- धारा 234 के अधीन रहते हुए हस्तान्तरण की अवधि उतनी होगी जिसमें हस्तान्तरित, वसूली की कमियों व्यवस्था के खर्चो (यदि कोई हो) के लिए उचित गुंजाइश रखते हुए, बकाया के रूप में दी जाने वाली राशि मय उचित न्यायोचित ब्याज के हस्तान्तरित भाग या पट्टी के लाभो में से वसूल कर सके।

सहभागीदार या सहभागीदार गण से जिनके प्रश्न में भाग या पट्टी, धारा 234 के अधीन हस्तान्तरित हो प्रारूप सं. 7 में संविद् तथा प्रारूप सं. 8 में जमानत नामा निस्पादित करवाया जायेगा।

(च) अचल सम्पति का विक्रय

(G) Sale of Immovable Property

54. बाकीदार के विशिष्ठ क्षेत्र, पट्टी या भू–सम्पदा का बेचान कब किया जावे–

When sale of defaulters specific area, Patti, or estate to be made-

1. धारा 235 के विक्रय का आश्रय केवल तभी लिया जावे जबकि उक्त अधिनियम के पूर्वगामी धाराओं में निर्दिष्ट आदेश पत्र बकाया की वसूली के लिए अपर्याप्त हो।

2. धारा 235 के अधीन बेचान प्रस्तावित करने में जिलाधीश बताएगा कि वार्षिक आय तथा वार्षिक मांग कितनी है, और यह रिपोर्ट करेगा कि आया बकाया चढ़ने का कारण मूल लगान निर्धारण की कठोरता है। या भूमि का पतन हो गया है। और यदि भूमि का पतन हुआ है तो आय ऐसा खराब व्यवस्था के कारण हुआ है अथवा ऐसे कारणों से हुआ जो भू. सम्पदाधारी के नियन्त्रण से परे थे।

3. धारा 238 के अधीन अपेक्षित बेचान की विज्ञप्ति प्रारूप सं. 4 (क) में जारी होगी और उसके बेचान का वारन्ट प्रपत्र 4 में होगा। बाकीदार की लिखित सहमति के बिना कोई बेचान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विज्ञप्ति तामील होने की तिथी से संगणित कम से कम 30 दिन नहीं गुजर जावे।

55. जिलाधीश द्वारा बोली– Bid by Collector- यदि किसी निलामी में चढ़ी हुई बकाया राशि के समकक्ष जिसके लिए विक्रय का आदेश हुआ है बोली नहीं आती तो जिलाधीश बकाया की कुल राशि ओर निलाम की तिथी तक संचित अन्य बकाया की राशि तक बोली बोल सकेगाः

परन्तु शर्त यह है कि जब भी ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि बाकीदार के कब्जे में ऐसी अन्य सम्पति है जिससे बकाया वसूली की जा सकती है तो जिलाधीश पूरी बकाया राशि से कम पर सम्पति खरीद सकेगा और फिर ऐसे कदम उठा सकेगा जो शेष की वसूली के लिए आवश्यक हो।

56. भूमि के विक्रय हेतु खर्चो की दरें–

Rates of Charges for sale of Land- जब कि विक्रय हेतु रखी गई अचल सम्पति भूमि है तो ऐसी रकम पर जो बकाया थी, कुल राशि से अधिक न हो और जो विक्रय द्वारा प्राप्त हो प्रत्येक बेचान के खर्चे निम्नालिखित दरों पर वसूल किये जायेंगे–

1. जब कि राशि 200/–रूपये से अधिक न हो तो प्रत्येक 100/– रूपये या 100/– रूपये के भाग पर एक रूपये की दर से।

2. जब ऐसी राशि 200/– रूपये से अधिक हो परन्तु 1000/– रूपये से अधिक न हो तो प्रथम 200/– रूपये पर 2/–रूपये और 200/– रूपयों के अतिरिक्त रकम पर प्रत्येक 100/– रूपये या 100 रूपये के भाग पर 5/– रूपये. पै. की दर से।

3. जब ऐसी राशि 1000/– रूपये से अधिक हो तो प्रथम 1000/–रूपये पर 6/–रूपये और 1000/– रूपये से अतिरिक्त राशि पर प्रत्येक 500/– रूपये पर एक रूपये की दर से।

57. अचल सम्पति का विक्रय संचालन करने हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारी का खर्चा पूरा करने हेतु वसूली की दर–

Scale of charges of meeting cost of deputation of officer for conducting sale of immovable property-प्रतिनियुक्ति पर खर्चा वसूल करने के लिए निम्नलिखित दरों से खर्चा वसूल किया जायेगा।

		रू. पै.
1.	जब वसूल की जाने वाली राशि	
	100/– रूपये से अधिक नहीं हो	1 – 50
2.	100/– रूपये अधिक कितु 1000 से कम हो	3 – 00
3.	जब राशि 1000/– रूपये से अधिक हो	6 – 00

58. तामीलों के रजिस्टर का प्रपत्र– Form of Register of Processes- प्रत्येक तहसील हेतु प्रपत्र 9 में रजिस्टर रखा जावेगा। क्रमांक, सम्पदा का नाम, व्यक्तियों के नाम दर्शित होंगे।

59. जारी किये गये आदेश पत्रों का वार्षिक विवरण–

Annual Statement Processes issued- रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने हेतु एक वार्षिक विवरण पत्र तैयार किया जायेगा जिसमें कुल मांग तथा प्राप्तियां और उनकी वसूली के लिए जारी किये गये प्रत्येक किस्म के आदेशों पत्रों की संख्या दर्शायी जायेगी।

60. Entry of demand and receipts on account of processes in khatauni -

तलबाने के खाते में मांग तथा प्राप्तियां खतौनी में दर्ज की जायेंगीं :– तलबाना के खाते में मांग तथा प्राप्तियों के इन्द्राज खतौनी में दर्ज किये जायेगें।

61. तलबानें के खाते में जमा की गई राशियों का प्रमाणीकरण कोषाधिकारी करेगा–

Certification by Treasury officer of Receipts in trearury on A/c of Process fees- तलबाने की फीसों की राशि से किया जायेगा तथा प्रमाणीकरण करेगा।

62. अतिरिक्त तामील कुनन्दाओं के माहवारी वेतन का संक्षिप्त विवरण–

Monthly pay abstracts of Extra process servers - अतिरिक्त तामील कुनिन्दाओं की भुगतान की सूचना जिला कलक्टर को मासिक रूप से भेजी जावेगी।

63. धारा 256 व 257 में उल्लेखित रकमों की वसूली हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र–

Form of application for recovery of moneys refered to in saction 256, 257-

इस अधिनियम की धारा 256 व 257 में उल्लेखित किसी भी धनराशि की वसूली के लिए जिलाधीश को दिया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रपत्र सं. 10 में होगा।

sections	Recovery	मांग पत्र प्रारूप 1 में
229	Writ of demand and citation to appear	मांग पत्र और उपस्थिति के लिए आदेश पत्र–आदेश पत्र प्रारूप 2 में
229 (A)	Power to grant instalments	कलक्क्टर की किश्ते मजूर करने की शक्तियां
230	Attachment of movable property	चलसम्पति की कुर्की और विक्रय (प्रारूप–3 में)
231	Attachment of the Land.	भूमि की कुर्की
232	Powers and obligation of manager	व्यवस्थापन शक्तियां एवं कर्तव्य
233	Proclamation of Attachment	कुर्की की उद्धोषणा प्रारूप–′5′
234	Transfer of Defaulter's share	दोषी के भाग का हस्तान्तरण प्रारूप–′6′
235	Sale of defaulters specific Area, Fath or estale	दोषी के विनिर्दिष्ट क्षेत्र पट्टों अथवा भू0 सम्पति का विक्रय
236	Land to be sold free of encumbrances	भूमि समस्त भारों से मुक्त विक्रय की जायेगा
237	Powers to proceed against interest of defaulter in property other than that in respect of which default is made.	जिस सम्पति के सम्बन्ध में व्यक्ति क्रय (default) किया गया हो उसके अतिरिक्त सम्पति में दोषी के हितों के विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार
238	Procharmation of Sale	विक्रय की उद्धोषणा
239	Sale when and by whom to be made	विक्रय कब और किसके द्वारा किया जायेगा
240	Prohibition to bid for or acquire the property sold	विक्रय की जाने वाली सम्पति की निलामी में बोली लगाने अथवा अर्जन करने का निषेघ
241	When sale may be stayed	विक्रय कब रोका जा सकता है
242	Deposit by purchases, Resale in default of deposit	क्रेता द्वारा जमा कराना तथा जमा कराने में व्यक्ति क्रय (default) होने पर पुनः विक्रय
243	Purchase money when to be paid (with in 15 days)	क्रय मूल्य कब जमा कराय जाये (15 दिन में आवश्यक रूप से)
244	Liability of purchases for loss by resale	क्रेता का पुनः विक्रयः से हुई हानि का उत्तर दायित्व
245	Proclamation before Resale	पुनः विक्रय से पूर्व उद्धोषणा
246	Application to setaside sale on deposit of arrear	बकाया को जमा करवा देने पर विक्रय को अपास्त करवाने हेतु आवेदन पत्र
247	Application to set aside the sale for irregularity etc (3 days के अन्दर)	अनियमितता इत्यादि के कारण विक्रय को निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र (3 दिन में)
248	Order confirming or setting aside sale	विक्रय की पुष्टि करने अथवा निरस्त करने की आज्ञा देना
249	Bar of claims bounded on irregularity of mistakes.	अनियमितता अथवा त्रुटियों पर आधारित दावों पर रोक
250	Refund of Sale/Purchase money when sale proceeding are set aside	विक्रय के निरस्त हो जाने पर क्रय राशि वापिस लौटाना
251	Purchaser to be put in possession, certificate of Purchase	क्रेता को कब्जा दिलाया जायेगा– क्रय का प्रमाण–पत्र

Sale Certificate में भू. रा. अधि. की धारा 251 में जिला कलक्टर को अधिकार दिये गये है।

विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13/8/74 को राज. भू. रा. Payment, credit, Refund & Recovery Rules. 1958 में संशोधन किया जाकर प्रपत्र जारी किया गया है प्रक्रिया निश्चित की गई है।

Indian Registration Act. 1908 धारा 18 राज. में जिसमें 1953 की धारा 23 Convayance की दर से Stamp duty देय होगी।

इसका पंजिकरण आवश्यक नहीं है।

Indian Reg. Act. 1908 की धारा 89 (2) के तहत पंजीयन आवश्यक है।

विक्रय प्रमाण पत्र
Sale Certificate

FORM NO. XI
(See Rule 64)

Certificate of Purchase
Title of Suit

This is to certify that Shri.....has been declared the purchager at a sale by public auction on the .....day of 2004.... of (description of Land or other property) which is free from every encumbrances in this suit and that the said sale has been duly confirmed by this court.

Given under my hand and the seal of the court this.....day of ..... 2004.....

Collector

मुद्रांक शुल्क–
Stamp fees-

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की अनुसूची के आइटम 18 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी दीवानी या राजस्व न्यायालय अथवा कलक्टर या राजस्व अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से विक्रय की गई अचल सम्पतियों जिनके विक्रयकी राशि 25/–रू. से अधिक हो के लिए विक्रय प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर आइटम 18 'जी' में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आइटम 23 के अन्तर्गत देय मुद्रांक शुल्क भी देय होगा।

इस क्रय प्रमाण पत्र का भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 89 (2) के तहत पंजीकरण आवश्यक नहीं है परन्तु न्यायालय द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उप पंजीयक को क्रय प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रेषित की जावेगी।

.....